

:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपरिष्ठत होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु आवेदन किया है एवं इस दुरस्ती की वजह हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गयी है। दुरस्ती दस्तुरा अभिलेखीय नुस्ते सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से कि प्रार्थियों ने चर्चा का प्रारंभ तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में ही चर्चा निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					रचीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रार्थी का नाम	खसरा संख्या	पंचायत का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खारोदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
जोगडी	170	आबुल्लाह पुत्र	908	0.01	आबुल्लाह पुत्र	908	0.01
		मैदिया कॉम	909	0.07	मैदिया कॉम	909	0.07
		मैधवंशी साठ फेद	910	0.01	मैधवंशी साठ फेद	910	0.01
		आबुल्लाह रदन	911	10.07	आबुल्लाह रदन	911	10.07
		असल			असल		

क्रमांक :- 398
21x21

जिलाधिकारी पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
दिनांक :-

क्रमांक :-
जिलाधिकारी पालनार्थ :-

1. पंचायत हस्त जोगडी
पालनार्थ सुनिश्चित करें।

शिविर प्रभारी
शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
PGKSA-2021, पंच. मौलासर

को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थान नहीं हो तो निर्णय

उप तहसीलदार, मौलासर